



पल्लोश

झारखंड पुलिस पत्रिका

खण्ड-4 अंक-6

अप्रैल-जून 2006

“इप्सोवा” के पुलिस कल्याणार्थ बढ़ते कदम

पुलिसकर्मियों के कल्याणार्थ एवं जिलाअन्तर्गत स्थानीय सहयोग/कर्मियों के कल्याणार्थ सरकारी नियमानुसार विभिन्न पुलिस पदा/कर्मियों के परिवार एवं खुद किये जा रहे सार्थक प्रयास की कड़ी में दिनांक 02.05.06 को “इप्सोवा” के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम हजारीबाग पुलिस परिवार के लिए एक अविस्मरणीय क्षण था।

पदाधिकारी पुलिस केन्द्र में “इप्सोवा” की ओर से पुलिस जनों के परिवार वालों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच का प्रबन्ध रखा गया, इनमें पुलिसकर्मी के पत्नी एवं बच्चों को मेडिकल चेक-अप एवं दवाईयाँ दी गयी। उक्त आयोजन के दौरान ही मान्नीय अध्यक्षा द्वारा पुलिसकर्मियों के विकलांग बच्चों को



श्रीमती पुष्पा दयाल अध्यक्षा, इप्सोवा द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर मेला का उद्घाटन करती हुई।



इप्सोवा के सदस्यों एवं अन्य पुलिस परिवारों को सम्बोधित करते हुए श्री वी.डी. राम, पु. महा निदेशक, झारखण्ड

“इप्सोवा” के मान्नीय अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा दयाल एवं श्री वी.डी. राम, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड राँची एवं पुलिस मुख्यालय से आये अन्य वरीय पुलिस

शिक्षा-दीक्षा हेतु छात्रवृत्ति दिये जाने की भावी योजना से अवगत करायी गयी तथा पुलिसकर्मियों के सम्पूर्ण परिवार से मिलकर उनकी समस्या से रूबरू कराया गया।



इप्सोवा अध्यक्षा द्वारा पुलिसकर्मियों के परिवार के मनोरंजन हेतु टी.वी. प्रदान करती हुई



महिला विश्राम गृह के उद्घाटन के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, इप्सोवा अध्यक्षा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारीगण

माननीय अध्यक्षा द्वारा पुलिसकर्मियों के सामुहिक मेस/महिला विश्राम गृह हेतु दो टेलिविजन प्रदान किया गया। “इप्सोवा” के आह्वान तथा हजारीबाग पुलिस के सार्थक प्रयास से जहाँ उक्त अवसर पर स्थानीय चिकित्सकों द्वारा अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर मुफ्त चेक-अप किया गया वहीं लगभग 500 पुलिसकर्मियों को “हेल्थ चेक-अप” कार्ड इश्यू करने की घोषणा की गयी जिसे स्थानीय चिकित्सक श्री मनोज जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं श्रीमती रंजना शरण स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा उनके सहयोग से पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवार के लिए विशेष रियायत (50 प्रतिशत) की व्यवस्था की गयी है।

आयोजन के अवसर पर वतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, श्री वी०डी० राम एवं माननीय अध्यक्षा “इप्सोवा” श्रीमती पुष्पा दयाल द्वारा पुलिस केन्द्र में पुलिसकर्मियों के कल्याणार्थ किये जा रहे सार्थक प्रयास के तहत निर्माणाधीन सामुहिक मेस, महिला विश्रामगृह, आवासीय कॉलोनी हेतु करीब 10 लाख की जलापूर्ति योजना का शुभारम्भ अपने कर-कमलों द्वारा किया गया।

माननीय मुख्य अतिथि तथा उपस्थित वरीय पदाधिकारीगण द्वारा स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति हेतु लगाये गये नये ट्रांसफार्मर,

पानी आपूर्ति हेतु लगाये गये पम्प एवं सामुहिक स्नान घर तथा शौचालय व्यवस्था एवं इलाहाबाद बैंक द्वारा निर्माणधीन ए०टी०एम० काउण्टर का अवलोकन किया गया। महानिदेशक महोदय द्वारा पुलिस केन्द्र की व्यवस्था पर काफी प्रसन्नता प्रकट की गयी तथा संतोष व्यक्त किया गया। महानिदेशक महोदय एवं माननीय अध्यक्षा “इप्सोवा” के कल्याणकारी कार्य के प्रति संतोष व्यक्त किया गया तथा और उत्तम दिशा की ओर कार्य करने के लिए ओजस्वी संबोधन से सभी पुलिसकर्मियों/पदाधिकारियों को प्रेरित एवं निर्देशित भी करने की कृपा किये।

“इप्सोवा” के आयोजन से हजारीबाग पुलिस परिवार जहाँ एक ओर अनुगृहित हुआ वहीं दूसरी ओर “इप्सोवा” अपनी सफलता की अगली कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ा।

हजारीबाग पुलिस परिवार “इप्सोवा” की सफलता की कामना करता है।

- पुजा सिंह

सदस्या “इप्सोवा”

हजारीबाग

हजारीबाग पुलिस द्वारा उग्रवादी नियंत्रण हेतु किये गये सार्थक प्रयास एवं प्राप्त उपलब्धि

वर्ष 2005 के उत्तरार्द्ध में हजारीबाग पुलिस द्वारा उग्रवादियों को उनकी शरणस्थली/माँद अथवा उनके “सेफ जोन” समझे जाने वाले स्थानों में मात देने की जो योजना/रणनीति प्रारम्भ की गयी थी, जिस दौरान काफी अच्छी सफलतायें भी प्राप्त हुई थी, कि कड़ी में ही वर्ष 2006 के अब तक के समयावधि में सफलताओं की परिणति की ओर पहुँचने वाली अविस्मरणीय उपलब्धि प्राप्त हुई है।



पुलिस महानिदेशक झारखण्ड द्वारा मुठभेड़ में शामिल पुलिस जवानों को पुरस्कृत करते हुए



मुठभेड़ में बरामद हथियारों के साथ पुलिस पदाधिकारी

हजारीबाग जिला से होकर गुजरने वाली जी०टी० रोड पर अवस्थित चौपारण थाना का अम्बातरी गाँव अवस्थित एवं जंगली क्षेत्र दिनांक 19/20.03.2006 की मध्य रात्रि, जहाँ एक ओर उग्रवादियों के लिए अवश्य ही काली रात्रि, वहीं पुलिस के लिए अविस्मरणीय उपलब्धियों की रात बन बैठा एवं अम्बातरी गाँव एवं उसके आस-पास की अवस्थित उसका गवाह बना। हजारीबाग जिला के चौपारण थाना एवं गया जिला, बिहार का सीमावर्ती अम्बातरी गाँव



विजेता एवं उपविजेता फुटबॉल टीम के साथ श्री प्रवीण कुमार, पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग

पहुँचने का कठिन एवं दुर्गम जंगली रास्ता तय करते हुए पुलिस पार्टी प्राप्त विश्वसनीय परन्तु अपुष्ट आसूचना का सत्यापन हेतु उक्त तिथि की मध्य रात्रि अपने दृढ़ इच्छा शक्ति एवं उग्रवादियों को उनकी ही मान्द में सबक सिखाने के उद्देश्य से उस क्षेत्र में भ्रमणशील थी। भ्रमण करने के क्रम में एक हल्के मोड़ वाली मार्ग जहाँ से पुलिस दल आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उग्रवादियों से पुलिस दल की मुठभेड़ प्रारम्भ हो गयी जो मुठभेड़ की चरम परिणति तक जा पहुँची। करीब-करीब 03 घण्टे तक यह मुठभेड़ चलती रही। इस भीषणतम् मुठभेड़ में भा०क०पा० - मा०ओ० वादी संगठन के मध्य पूर्वी मगध जोन के शीर्षस्थ हार्ड कोर उग्रवादी 1. केदार यादव, 2. जनक चौधरी, 3. दुधेश्वर माँणी, 4. सुनील भुईयाँ, घटना स्थल पर ही मारे गये। मुठभेड़ की समाप्ति के पश्चात् कुशल रणनीति के अनुरूप सुबह होने पर शर्च प्रारम्भ किया गया जिसके दौरान उक्त 4 मृत उग्रवादी का शव पाया गया तथा इन्सास राईफल-1, एस०एल०आर०-1, 303 राईफल-1, 315 नियमित राईफल-1, डी०बी०बी०एल० बन्दूक-1, 306 यू०एस० राईफल-4 एवं स्टेनगन-1 एवं कारतूस 356 राउण्ड, नक्सली दस्तावेज, प्रयोग में लाये जाने वाला समान जप्त किया गया। घटना के पश्चात् उक्त क्षेत्रों में पुलिस के प्रति आम जनों में विश्वास की भावना देखी गयी है जिसका अनुभव सभी स्तर से दिखा है, साथ ही पुलिस की कार्य दक्षता पर भी लोगों का शतप्रतिशत भरोसा पैदा हुआ है।

प्राप्त इस उल्लेखनीय/अविस्मरणीय सफलता हेतु महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 02.05.06 को मुठभेड़ में शामिल पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों के मनोबल को बढ़ाये रखने हेतु अपने करकमलों द्वारा नगद 5000-5000/रूपये एवं प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया गया है।

प्राप्त होने वाली अविस्मरणीय उपलब्धियों की पुनरावृत्ति पुनः हजारीबाग पुलिस की मजबूत आसूचना तंत्र एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप दिनांक 16.06.06 को हुई। अन्तर सिर्फ थाना क्षेत्र



ग्रामीणों को पुरस्कार स्वरूप खस्सी देते हुए पुलिस पदाधिकारीगण

का रहा। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का दुबका - दोमुहान का वह घनघोर जंगल जो बोकारो जिला का सीमावर्ती भी है, उक्त तिथि को प्रातः 06:00 बजे से 09:00 बजे तक पुलिस उग्रवादी भीषण मुठभेड़ हुई। एक बार पुनः पुलिस दल की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कारगर रणनीति अपनी रंग लायी और मुठभेड़ के दौरान घटनास्थल पर ही एक उग्रवादी मारा गया तथा विकास कुमार दांगी, सा० गिद्धौर, जिला चतरा को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के उपरान्त चलाये गये सर्च के दौरान एस०एल०आर०-1, 303 राईफल-2, 315 राईफल-1, इटालीयन पिस्टल-1, नगद राशि 26700, कारतूस-794 राउण्ड, पेट्रोल बम-58, डोटोनेटर-13, मोटोरोला मैन पैक-3 एवं भारी मात्रा में नक्सली साहित्य एवं सामान बरामद हुआ। दैनिक समाचार पत्र एवं स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक उक्त मुठभेड़ में 04 भा०क०पा० - माओवादी उग्रवादी मारे गये तथा 40 घायल हुए हैं।

उपरोक्त प्रकार की प्राप्त सफलतायें हजारीबाग पुलिस की उग्रवादी विरोधी कार्रवाई में अच्छे परिणाम के स्वतः प्रमाण हैं, साथ ही आम जनों में इस प्रकार पुलिस के प्रति विश्वास एवं प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ है।

हजारीबाग पुलिस ने विगत एक साल में अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कई जगहों पर पुलिस का जनता के साथ तारम्यता स्थापित करने हेतु मेडिकल कैम्प, फुटबॉल टूर्नामेंट, खस्सी प्रतियोगिता का आयोजन तथा जनता दरबार लगाया है, कल्याणकारी कार्य के तहत कम्बल वितरण, दवा वितरण आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के परिणामतः पुलिस एवं ग्रामीणों के बीच संवाद माध्यम कायम हुआ है तथा प्राप्त होने वाली आसूचनाओं में वृद्धि हुई है।

- प्रवीण कुमार

पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग

KIDNAPPING FOR RANSOM

Koderma experience :An study of its economics and dynamics.

I Joined as District Superintendent of Police, Koderma in the middle of year, 2004 and I needed no divine insight to know that kidnapping for ransom is going to be the most pressing engagement of my inheritance.

It was a thriving business at point of my joining in Koderma and has acquired of all the characteristic of an industry over a time span of a decade or so. Other districts afflicted with the disease were neighboring Giridih, Hazaribagh, Bokaro, Dhanbad of Jharkhand State and Nawada, Gaya of Bihar State. Nalanda and Patna district of Bihar also were part of this kidnapping pattern which has epicenter in Koderma. The whole industry was being run by a dozen or so of kidnapping gangs operating in their favorite demarcated area with necessary liaison and support amongst them. Over the years several gangs have developed certain degree of expertise and specialization beyond normal kidnapping for ransom



family was instructed by the kidnapper to put money on seat no 89 of bogey no 6407 of the train coming from Bhojudih to Chandrapura. In this case, ransom money was instructed to be delivered on a running train when the train was to cross a particular rail bridge between two predetermined

reasons, majority of kidnapped victims have been men and industrialists. But Engineers, Contractors have also been the favorites of the



collaborators would be the also responsible for identifying the potential future victim. In this way the kidnapping industry was functioning as well-oiled machine.

The kidnapping industry has another remarkable feature in that a particular caste would dominate the gang operating in a particular area. If Yadavas dominated the gangs operating in Giridih, Koderma, Hazaribagh, then Kurmis would dominate in gangs operating in Nalanda, Nawada and bordering area of Patna. Rajputs criminals figured prominently in kidnapping cases reported from Dhanbad and Bokaro with a sprinkling of Muslim and Bengali criminals. Over a span of time, kidnapping industry acquired virulent social acceptance as in some cases the whole village would act as willing participants in keeping custody of kidnapped persons in lieu of share in booty. A case in point is Charhi village of Gawan P.S. of Giridih district, which is the home village of known kidnapper Arbind Raut. The economic benefit accruing from the industry was thus spread far and wide to give the industry a formidable social base. As said earlier Koderma district played a pivotal role because not only many kidnapping gangs had a base in the district, but also because it was a favored location for concealment of kidnapped persons.

The expertise exhibited by the kidnapping gangs was most vivid in the way the delivery of ransom money was designed and executed in some of the cases. A remarkable instance which readily comes to mind is Chandan Kiary (Bokaro district) P.S. case no 136/02 dated 8-12-02 u/s 364(A) IPC in which four year old son of



cases. This specialization would be seen in the modus operandi of the gangs. In many cases a person would be kidnapped and passed on to another set of criminals, who would not be directly involved in kidnapping, but would be only responsible for keeping the kidnapped person in safe custody. Demand for ransom would be carried out by still another set of persons who would keep roaming around and would make ransom call on victims' family. After successful negotiation and delivery of ransom the kidnapped person would be released to a convenient point from where he could find way to his home. Then there would be also a separate group of persons comprising of local shady characters having links with the gangs, who would extend logistic and moral support to the kidnapping gang in return for an appreciable share of the ransom. These white collared criminals would keep an eye on development taking place around victim family and police activities. Instances are known when these people would visit victim's family, solicit their welfare and then would very innocently suggest to the victim family not to get embroiled in police action and thus jeopardize victim life. This group of

The victim family would be instructed by the kidnapper to put the ransom money on seat no 89 of bogey no 6407 of the train proceeding from Bhojudih to Chandrapura. In this case, ransom money was instructed to be delivered on a running train when the train was to cross a particular rail bridge between two predetermined

For obvious reasons, majority of kidnapped victims have been men and industrialists. But Engineers, Contractors have also been the favorites of the



gangs. However teachers, government officials and other people from lower middle class socio-economic group have also fallen victim to the gangs. In one case reported from Koderma (Koderma P.S. Case no. 66/04 u/s 364(A)/392/34 IPC) a police inspector was also kidnapped. The police inspector wisely did not disclose his identity during kidnapping. After a while kidnapping standard stooped to such low level as in certain areas of Giridih district that small time street merchant, lowly-paid private school teacher and working class wage earner would also not be spared and ransom money would be dealt in mere a few thousand. But worst of all cases involved kidnapping of adolescent boys and even children of well-off families which would be a traumatic life long experience for the boys as well as their families

Kidnapping as a distinguished genre of crime presents a most remarkable study from the stand point of



psychology of the victims during captivity. The traumatic experience of living in hostile and utterly testing conditions of captivity with a sword hanging over the head for days on end would drain and devastate the bravest of them. The bleeding scar on victim's psyche would in many a cases last their life time. But instances are there in which the victims managed rather well in course of the captivity and would be a bubbling and never ending teller of his experiences to whosoever would care to listen. In many a cases victims are known to have developed a strange sympathy for their kidnappers and would actually work willingly towards fulfillment of their demands. In these cases, kidnappers would adopt endearing mannerism and polite conversation to win the sympathy of the victim. This might be nothing but a carefully designed psychological bluff on part of the kidnapper but the victim would be so thoroughly won over that they would empathies and even collaborate with the kidnappers. In many high profile kidnapping cases the world over, this strange relationship developed between victim and his kidnapper has been termed as "kidnapping syndrome".

As regards the economic aspect of kidnapping business, on an average twelve to fifteen chosen target were used to be kidnapped in a year in Koderma. More or less similar figures were applicable in neighboring districts also. It

goes without saying that a large number of such cases were never reported to the police. In 2004 a rough calculation was made by me of approximate revenue generated by the industry in the above-referred district of Jharkhand State only. The revenue amounted to approximately two crore per year. Some times same businessmen or industrialist would be kidnapped again after a gap of two or three years when the gangs could not find better target. A remarkable and allied aspect of the kidnapping industry was the extortion racket which was run parallel to the kidnapping activity. Gang members would make calls to businessmen, introduce themselves and proudly narrate their antecedents and past exploits in the fashion of a war-lord counting his battle-field heroics, and impress and exhort the businessmen to pay extortion money in lieu of guarantee against kidnapping. The amount of money generated by this extortion racket would be easily in the vicinity of kidnapping generated revenue. The criminals languishing in jail and consequently out of action temporarily would run the extortion racket very profitably with connivance of jail officials.

When I joined in district as S.P, I found the police response to these cases to be pathetic, to say the least. The reigning philosophy for the police officers was to wait and watch, secure in the believe that it may take days but ultimately negotiation between victim family and kidnappers would be concluded eventually. A very spurious argument advanced by the police was that they would not want to jeopardize the victim life by launching any action against the criminals. It was a barely disguised excuse for criminal non-action of the policemen and sometimes perhaps passive connivance or surrender to kidnappers. The moment a person was kidnapped many persons including the policemen and white collar collaborator of kidnapping gang would spring into action, but of a different kind. Their concerted move would be aimed at egging the victim family on to conclude the negotiation and facilitate the release of the victim. Once



the victim was released to his family, broad hints would be dropped by the police officers of their non-existent actions which in some mysterious way was also responsible for the safe return of the victim. It was a truly pathetic attempt on part of the policeman to arrogate some share of credit

epitomized by smiling police officers standing on both the flank of hapless victims and being photographed by the hoard of local pressmen. The failure of the police to tackle kidnapping effectively arose from a combination of factors . Unwillingness or inability to stick to a sustained course of action, dearth of good intelligence, suspicion of powerful caste or political groups arrayed behind the kidnapping group, uninspiring leadership and intra-district as well as inter-district lack of coordination were some of these factors.

The beginning of year 2005 ushered in a new dawn in the fight of Koderma district police against the menace of kidnapping . On

22-12-04 a dare devil kidnapping took place from the heart of Telaiya town wherein Shri Mahesh Khetan, owner of the famous sweet meat shop, Anand Vihar, was forcibly dragged out of his shop, kidnapped and spirited away in a vehicle . Though Sri Khetan returned after customary period of captivity and payment of ransom, the police successfully identified the gang and nabbed many kidnappers responsible for the crime including the dreaded gang leader Santosh Yadav. This was a beginning of the things to come . On 25-4-05, another prominent industrialist of Telaiya, Sri Kamal Kedia was kidnapped during his morning walk . The Koderma police went all out this time to challenge and defeat the kidnappers. After days and nights of nerve-wrecking continuous operation, the police started getting accurate clues about the hide-outs of the kidnappers. The gang kept moving from place to place with the kidnapped person in tow and police team kept pursuing them like a hound on a scent . Ultimately many police team acting in unison surrounded and raided the gang sheltered in a village house in Kharkota of Koderma PS. In the ensuing encounter, one dreaded criminal Dayanand Rana was killed on spot, and five other kidnappers were arrested

from the spot with impressive haul of arms and 4.20 lacs of ransom money . Koderma police had truly turned a new leaf in the history of perpetual war against crime . Praise and adulation from all quarters as well as immense public appreciation not to speak of heart warming gratitude of the victim family was showered on the district police . But the biggest gain was the new- found self-belief of the policemen in their ability to take on the formidable kidnapping gangs successfully. This time photograph of smiling policemen on the flanks of kidnapped person was very genuine and very well-earned .

The Kamal Kedia incident was only the beginning of an extra-ordinary chain of successes achieved by Koderma Police against kidnappers. On 03-10-05 another sweet meat shop owner, Kailash Chowdhary was kidnapped from Telaiya town. He was recovered from runaway vehicle of kidnappers within one and half hour of the incidents. The owner of stone crushing unit, Bhatu Rana was kidnapped on 24-2-06 while on way to his home . Police party went in extremist-infested deep jungle area in camouflage to engage the criminals. A dreaded kidnapper Mahendra Yadav was killed on spot by the police party and Bhatu Rana was successfully rescued. Similarly Koderma police successfully rescued the son of a Railway employee after an exhausting and protracted operation in the adjoining border area of Nawada and Gaya district. It goes to everlasting credit of district police that they did not allow a single attempt of kidnappers since 2005 to be successful. After unending string of disappointment and humiliation, the police has suffered in preceding years, the Koderma police like phoenix have risen from ashes. It has rediscovered and re-invented itself.

– Manoj Kr. Mishra, IPS
Supdt. of Police, Koderma

झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-1 परिसर में आयोजित दो दिवसीय (दि० 22.03.06 से 23.03.06) निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के संबंध में वृत्त

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-1021/म०शा० दि० 17.08.05 एवं पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं अनुसंधान विभाग का ज्ञापन-2077, दि० 28.09.05 तथा 249/म०शा०, दि० 28.09.05 के निर्देश के अलोक में पुलिस महानिरीक्षक, झा०स०पु० के निर्देशन एवं तत्वावधानता में दिनांक 22.03.06 एवं 23.03.06 को झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-1, डोरण्डा, राँची के क्रीडा मैदान में दो दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर को सफल बनाने हेतु पूर्व में ही वाहिनी आवासीय परिसर, डोरण्डा, हिनू के शहरी क्षेत्र

तथा अगल-बगल के इलाकों में प्रचार-प्रसार किया गया। राँची पुलिस, झा०स०पु०-2, झा०स०पु०-10 तथा झा०स०पु०(11) के अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को भी उक्त शिविर की सूचना दी गई। सभी पुलिस कर्मियों, उनके पारिवारिक सदस्यों एवं आम नागरिकों से इस शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर स्वास्थ्य जाँच एवं विभिन्न बीमारियों के संबंध में जानकारी हासिल करने एवं मुफ्त दवा वितरण का फायदा उठाने को सूचित की गई।

उपरोक्त निःशुल्क शिविर के सफल संचालन हेतु असैनिक शल्य

चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची के द्वारा पाँच चिकित्सकों तथा अन्य चार चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति इस स्वास्थ्य शिविर में की गई। चिकित्सा पदाधिकारियों (1) डॉ. श्रीमती सुमित्रा कुमारी, राजकीय औषधालय, डोरण्डा (2) डॉ. श्रीमती सीमा कुमारी, संक्रामक रोग अस्पताल, राँची (3) डॉ. सुजीत कुमार माँझी, मुख्यालय (4) डॉ. विमलेश सिंह, सदर अस्पताल, राँची मुख्य रूप से इस दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित हुए। वाहिनी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. डी.के. सिंह, डॉ. श्रीमती निर्मला सिंह तथा जैप-2 के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ओ.पी. तिवारी भी अपना भरपुर सहयोग दिये।



स्वास्थ्य शिविर का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते हुए श्री वी.डी. राम, पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड

कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड श्री वी.डी.राम, भा.पु.से. के द्वारा दिनांक 22.03.06 को पूर्वाह्न 9:45 बजे दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया इससे पूर्व



निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित जैप 9 की महिलायें

गोरखा संगठन की महिलाओं द्वारा गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। उक्त अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक वित्त एवं आधुनिकीकरण श्री नेयाज अहमद, पुलिस महानिरीक्षक, जैप श्रीमती निर्मल अमिताभ चौधरी, पुलिस उप-महानिरीक्षक, जैप श्री रेजी डुंगडुंग के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित हुए। मंच का संचालन गोर्खा संगठन के ज्ञान सिंह क्षेत्री तथा पूर्णिमा क्षेत्री ने किया। स्वागत भाषण जैप उप-महानिरीक्षक, श्री रेजी डुंगडुंग के द्वारा दिया गया। डॉ. डी. के. सिंह के द्वारा शिविर के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

उक्त स्वास्थ्य शिविर में 14 विभिन्न स्टॉल लगाये गये थे जहाँ चिकित्सक द्वारा विभिन्न रोगों से संबंधित जानकारी तथा उनका रोकथाम एवं ईलाज के विषय में बतलाया गया। शिविर में मुख्य रूप से रक्त जाँच, एक्जूप्रेसर, रक्तचाप जाँच, दाँत एवं आँखों का जाँच, एड्स के विषय में जानकारी तथा मुफ्त दवाईयाँ वितरण से संबंधित स्टॉल लगाये गये थे। शिविर स्वयं सेवी संस्थाओं वाई.एम.सी.ए. केयर तथा आर. के. मिशन ने भी एड्स, एक्जूप्रेसर से संबंधित जानकारी तथा इसके रोकथाम के संबंध में बतलाया।

शिविर का मुख्य आकर्षण दिनांक 22.03.06 को आयोजित बेबी-शो का कार्यक्रम भी रहा। इस शो में एक सौ से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें एक माह से नौ माह, एक वर्ष से तीन वर्ष तथा तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक के बच्चों ने भाग लिया। सफल प्रतियोगियों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया।

खुखरी महिला सहयोगी समिति के तरफ से भी मुफ्त दवाईयाँ के वितरण से संबंधित स्टॉल लगाया गया तथा आम नागरिकों के बीच दवाओं का वितरण किया गया।



श्री वी.डी. राम, पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड को पुष्प प्रदान करती हुई खुखरी महिला सहयोगी समिति की सदस्या

जैप-1 की तरफ से अपने कर्मियों के बीच जाँचोपरान्त हेल्थ कार्ड का भी वितरण किया गया। जैप के सेवा निवृत्त कर्मियों को भी स्वास्थ्य जाँच कार्ड दिया गया जिसमें पाये तथ्यों का उल्लेख करते हुए भविष्य में इस कार्ड के जरिये स्वास्थ्य जाँच कर सुविधा प्रदान करने का प्रावधान प्राप्त कराया गया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में वाहिनी के चिकित्सक डी. के. सिंह तथा जैप-2 के चिकित्सा प्रभारी डॉ. ओ. पी. तिवारी का योगदान सराहनीय रहा।

झुमरा-पुलिस की इच्छाशक्ति की एक अनूठी मिसाल

झुमरा न तो किसी प्रसिद्ध गायक की गायकी की विधा है और न ही झारखण्ड में प्रसिद्ध झुमर नृत्य से जुड़ी कोई नृत्यकला है। वस्तुतः बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह जिले की सीमा स्थित छोटानागपुर के पठार पर जिलंगा पहाड़ स्थित पहाड़ी के ऊपर बसा एक छोटा सा गाँव है। यहाँ के लोग बताते हैं कि झुमरा पहाड़ की प्राकृतिक

झुमरा पहाड़ की विशेषता यह है कि करीब 125 वर्ग कि०मी० में फैला इलाका जल के स्रोतों से परिपूर्ण है। यहाँ का मौसम ऐसा है कि भरे बैशाख में भी हल्की चादर की ठण्ड होती है यहाँ की प्राकृतिक छटा ऐसी है कि आज के इस औद्योगिक माहौल में यदि फुरसत के चार पल गुजार लिए जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि फेफड़ों में अपने



शिविर में प्रेस को सम्बोधित करते हुए पुलिस पदाधिकारीगण

सुन्दरता से मोहित एवं सूदखोरों से परेशान होकर उनके पूर्वज इन बीहड़ों में आकर बस गये थे। इसी गाँव की देखा-देखी इसी पहाड़ी श्रृंखला के ऊपर ही अमन, बलथरवा सिमराबेड़ा, सुअराकटवा एवं जमुनीजार गाँव भी बस गये। पहाड़ी के ऊपर लोगों का जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण तथा शांतिपूर्ण तरीके से चलने लगा। लोगों के अजीविका का साधन कृषि एवं पशुपालन था। झुमरा और आस-पास के जंगलों में प्रचुर मात्रा में बाँस, महुआ तथा इमारती लकड़ी पायी जाती है। इस कारण यहाँ के लोग वन विभाग की मदद



झुमरा पहाड़ पर एकत्रित ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों का एक दृश्य

आप ऑक्सीजन जाते रहता है। बरसात के दिनों में बादल के टुकड़े पुलिस टेन्टों में ऐसे घुसते हैं जैसे कि वहाँ के रहने वाले लोग देवलोक में निवास करते हैं। झुमरा पहाड़ पर पाँचों गाँव मिलाकर करीब दो-ढाई सौ घरों की आबादी है, जिसमें अधिकतर कुर्मी एवं सन्थाल हैं। जबकि झुमरा पहाड़ के तराई वाले इलाकों में कुर्मी, आदिवासी, करमाली, साहु, मुसलमान, भोक्ता इत्यादि जाति के लोग निवास करते हैं, जिनकी आबादी लगभग 25 हजार के आस-पास है। राजनैतिक रूप से यह इलाका पहले वामपंथी लोगों



शिविर के पास स्कूली बच्चियों द्वारा गीत की प्रस्तुती



शिविर के पास मांदर का अनन्द लेती महिलायें

से इन सभी चीजों का भी व्यापार करते थे। इसके अलावे झुमरा पहाड़ की तराई में पड़ने वाले अन्य गाँवों के लोग भी इन्हीं पहाड़ों एवं जंगलों से लकड़ियाँ काटकर जलाने की लकड़ियाँ जुटाते थे तथा बरसात में अपने पशुओं को धान का खेत बचाने के लिए पहाड़ों के ऊपर चराने ले जाते थे।

का आधार क्षेत्र रहा है। जब शिबु सोरेन के द्वारा महाजनी प्रथा के विरोध में आन्दोलन चलाया गया था, तो उस आन्दोलन की लहर से यह इलाका अछूता न रह सका था। हालाँकि पूर्व में यह क्षेत्र रामगढ़ राजा का इलाका होता था। वे कभी-कभी शिकार खेलने झुमरा बस्ती में आया करते थे तथा उनके द्वारा एक बंगला झुमरा पहाड़ के ऊपर

बनाया गया था, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में झुमरा बस्ती से ऊपर बंगला टोंगरी के नाम से अब भी मौजूद है। परन्तु राजतंत्र समाप्त होने पर ये सारी बातें समाप्त हो गयीं। चूँकि जब जमींदारी प्रथा



शिविर से साड़ी प्राप्त कर लौटती ग्रामीण वृद्ध महिलायें

समाप्त हुई तो राजा रामगढ़ के द्वारा भारत सरकार को रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, जिसके चलते राजा रामगढ़ के क्षेत्र में पड़ने वाले तमाम जमीनों का लेखा-जोखा गड़बड़ हो गया। इस कारण से इलाके में भूमि विवाद अनावश्यक रूप से बढ़े। अंचलों में भी भू अभिलेखों का संधारण तरीके से नहीं होने के कारण भूमि विवादों ने लोगों को काफी परेशान किया। फर्जी हुकुमनामा तथा रजिस्टर टू में गड़बड़ी के कारण सरकारी तंत्र से लोगों का विश्वास टूटा और हिंसा में विश्वास रखने वाले कम्युनिस्टों को एक नयी जमीन मिल गयी।

उस इलाके में वहाँ के निवासियों की किस्मत उसी दिन खराब हो गई, जिस दिन कम्युनिस्टों ने लोकतांत्रिक तरीके को दरकिनार करते हुए विधि द्वारा स्थापित सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपना आधार क्षेत्र बनाना प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम सी०पी०आई० माले ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया तथा उनके कार्यकर्ता के द्वारा गैर सरकारी जन अदालतें लगाई जाने लगीं। बिना किसी सरकारी फैसले के खेतों में लाल झण्डे गाढ़े जाने लगे तथा इस दौरान कम्युनिस्टों की हिंसक कार्रवाईयाँ जारी रही। परन्तु मामले के द्वारा संसदीय प्रणाली को अपनाये जाने के बाद गरम दल के कम्युनिस्टों को यह बात रास नहीं आयी। इसी बीच यहाँ एम०सी०सी० का प्रवेश हुआ। चूँकि माओवादी हिंसा की बदौलत सत्ता के शीर्ष पर जाना चाहते हैं। जो कि हिन्दुस्तान जैसे मानसिक रूप से उच्च तथा **बसुधैव कुटुम्बकम्** की नीति वाले देश में संभव नहीं है तथा यहाँ के अधिकतर लोगों की नजर में हिंसा, त्याज्य वस्तु हैं अतः खुले समाज में अपनी गतिविधियों को ये संचालित नहीं कर सकते थे। अतः प्रशासन की नजर से दूर इन रक्त पिपासुओं ने झुमरा पहाड़ के घने जंगलों से अपने सशस्त्र आन्दोलन की शुरुआत की तथा इलाके से उन लोगों को तंग तबाह करना शुरू किये, जो माओवादी विचारों से सहमत नहीं थे। समय-समय पर इनके द्वारा कई घटनाएँ की गयीं, जो माओ के सिद्धान्त की **“Kill-One, Terrorise Thousands”** पर आधारित है। जो लोग इनके विचारों से सहमत नहीं थे, वे

अगर सम्पन्न थे तो उन्हें सामन्त करार दिया गया तथा जो गरीब थे उन्हें सामन्तों का दलाल घोषित कर उन्हें प्रताड़ित किया गया तथा उनकी पिटाई जन अदालतें लगाकर की गई। जो लोग



मिडीया एवं ग्रामीणों से रूबरू होते पुलिस पदाधिकारीगण

इससे भी नहीं माने उनकी जमीन जायदाद जप्त कर ली गई। थाना एवं प्रखण्ड परिसर आने वाले को सताया जाने लगा। जिसके चलते आमलोग बहुत दबाव में आकर एम०सी०सी० की मदद भी करने लगे। मिला जुलाकर यह कहा जाए कि झुमरा एवं उसके तराई के इलाकों को माओवादियों ने अपना गढ़ बना लिया तथा जहाँ अपने सशस्त्र क्रांति के माध्यम से उन कैडरों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। इन उग्रवादियों को गोली, बारूद एवं युद्ध की संरचना एवं तकनीक का बकायदा फौजी ट्रेनिंग झुमरा में दिया जाना शुरू हो गया। इसमें नेपाल से लेकर बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ के उग्रवादियों को भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा। सूचनानुसार सी०पी०एन० (एम०), जो कि नेपाल का माओवादी संगठन है के शीर्ष नेता बाबूराम भट्टराई द्वारा भी झुमरा में प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात प्रकाश में आई है। इसके अलावा उग्रवादियों की गतिविधि उन इलाकों में बदस्तूर जारी रही। एकीकृत बिहार होने की वजह से ये इलाका मुख्यालय से काफी दूर था। अतः ऐसी सूचनाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना दिया जाना चाहिए था।

झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् झारखण्ड पुलिस ने झुमरा पहाड़ को उग्रवादियों से मुक्त कराने का दृढ़-संकल्प लिया। इसी मुहिम के तहत झुमरा पहाड़ पर पहला ऑपरेशन वर्ष 2001 में किया गया। इसके पश्चात् लगातार ऑपरेशन किये जाने लगे। अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में झुमरा पहाड़ क्षेत्र के लुकुया टोंगरी एवं चेडरी में दो चलंत प्रशिक्षण शिविर ध्वस्त किए गए तथा भारी मात्रा में हथियार/बारूदी सुरंग इत्यादि बरामद हुए। इसके अतिरिक्त कई बंकरों का उद्भेदन हुआ, एक लेथ मशीन जप्त की गई, जिसका प्रयोग उग्रवादियों के द्वारा हथियार बनाने में किया जाता था। कई शीर्ष उग्रवादियों की गिरफ्तारी भी हुई। उपरोक्त सकारात्मक पुलिस कार्रवाई से झुमरा की गृथी को सुलझाया गया एवं पुलिस उग्रवादियों के पाँव उखाड़ने में सफल हुई।

इसी श्रृंखला में अप्रैल-2006 में पुलिस एवं सी०आर०पी०एफ० द्वारा झुमरा पर “ज्ञान कलश” नामक स्कूल का निर्माण किया गया। गाँववालों के लिए जनता दरबार लगाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उनके बीच धोती/साड़ी, खेल सामग्री, दवा, पुस्तक वितरित किए गए। इसी तरह का शिविर चुट्टे गाँव में भी लगाया गया। जनता का विश्वास अर्जित करने एवं उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में उक्त कार्रवाईयों का काफी प्रभाव पड़ा।

पिछले लगभग 5-6 माह से झुमरा गाँव पर पुलिस की मजबूत कैम्प स्थायी रूप से कार्यरत है। इस कैम्प में वर्तमान में सी०आर०पी०एफ० की एक कम्पनी, एस०टी०एफ० की एक कम्पनी एवं आई०आर०बी० की एक कम्पनी उपस्थित है। इस कैम्प के स्थापित होने से उग्रवादियों के झुमरा से पाँव उखड़ गए हैं। जो क्षेत्र दशकों से उग्रवादियों के प्रशिक्षण का केन्द्रबिन्दु था, वह आज पुलिस के कब्जे में है। आई०आर०बी० की कम्पनी का वहाँ अब ‘फील्ड प्रशिक्षण’ दिया जा रहा है। इस कायाकल्प से उग्रवादियों में हताशा हुई एवं

उन्होंने 25 जून की रात्रि उपरोक्त पुलिस कैम्प को घेरकर चारों तरफ से हमला बोला। उन्होंने अपने पूरी शक्ति झोंकते हुए कैम्प को ध्वस्त करने का प्रयास किया, परन्तु पुलिस के दृढ़-निश्चय एवं साहसी लड़ाई के आगे घुटने टेकने पड़े एवं वे भागने को मजबूर हो गए। उन्हें मूँह की खानी पड़ी।

वर्तमान में झुमरा पहाड़ पर स्थित पुलिस कैम्प को और सुदृढ़ करने की दिशा में ‘पोटाहट’ का निर्माण चल रहा है एवं इसे एक अभेद दुर्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज पुलिस की लगनशीलता, इच्छाशक्ति एवं साहस की एक अनूठी मिसाल के रूप में झुमरा को देखा जा सकता है। झुमरा पहाड़ पर पुलिस नियंत्रण से उग्रवादी गतिविधियाँ काफी नियंत्रित हुई हैं एवं इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे राज्य के उग्रवाद पर परलक्षित होने लगा है।

मानविन्दर सिंह भाटिया

पुलिस अधीक्षक,
बोकारो

पूर्वी सिंहभूम, जिलान्तर्गत पुलिस के द्वारा किये गये सराहनीय एवं कल्याकारी कार्य

पूर्वी सिंहभूम दो अनुमंडल एवं घाटशिला अनुमंडल सहित में विभक्त है। पूर्वी सिंहभूम धालभूमगढ़ अनुमंडल विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र है तथा विश्वस्तरीय कम्पनी टिस्को, टेल्को टिमकेन, टी०आर०एफ० टिनप्लेट टाटा पिगमेन्ट्स जैसे कम्पनी अवस्थित है। कम्पनी से संबंधित समस्याओं का निदान एवं अनुमंडल में रह रहे आम जनता की शिकायत को सुनना एवं इसका त्वरित निष्पादन ही पुलिस की सफलता है।



नागरिक सहयोग समिति द्वारा पुलिस मिलन समारोह का एक दृश्य

औद्योगिक नगर होने के कारण यहाँ की जनता मिलीजुली है तथा भारतवर्ष के सभी धर्म एवं राज्य के लोगों का निवास स्थान है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कम्पनी में होने वाली चोरी को रोकना एवं कम्पनी में कार्य कर रहे ठेकेदारों एवं शहर के व्यवसायियों को शांतिपूर्ण माहौल एवं अपराधी एवं रंगदारी से

बचाना भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पूर्वी सिंहभूम में पूर्व में पृष्ठभूमि रही है कि, अपराधी अपना गिरोह बनाकर व्यवसायी से रकम की माँग करते हैं एवं रकम नहीं देने पर अपहरण एवं हत्या जैसे जघन्य कुकृत्य करने से भी नहीं कतराते हैं तथा शहर में अपने वर्चस्व बनाने के लिए भी एक दूसरे के साथ मारपीट एवं गोली चलाने का कार्य तक कर देते हैं। इस समस्या का निदान करना पुलिस के लिए जटिल है परन्तु विगत



फुटबॉल मैच के आयोजन के पश्चात शील्ड प्रदान करते पुलिस पदाधिकारीगण

छः माह में पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मो० नसीम जो कुख्यात अपराधकर्मी दुधई यादव का सहयोगी था दिनांक 24.06.06 को व्यवसायी सुभाष यादव साव से चार लाख रुपया रंगदारी वसुलने आया था जिसे छापामारी के क्रम में महिला कॉलेज, बिष्टुपुर के नजदीक

पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें मो० नसीम मारा गया। इसका मुख्य कार्य दुधई यादव के लिए व्यवसायी से रंगदारी वसूलना था।

दुधई यादव पिता स्व० जयशरण यादव सा० मकान नं० - 45, खुटाडीह थाना सोनारी जिला पूर्वी सिंहभूम जो वर्ष 1996 से पूर्वी सिंहभूम में अपराध से जुड़ा हुआ था एवं नगर के लिए दहशत के रूप में जाना जाता था और मुख्यतः हत्या/रंगदारी/आर्म्स अधिनियम के अंतर्गत 22 कांड इस जिला में उसके विरुद्ध प्रतिवेदित हुए थे तथा वह अपना गिरोह बनाकर कार्य कर रहा था। दिनांक 1/2/2006 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आदित्यपुर की तरफ से आम व्यवसायी सुभाष साव की हत्या सोनारी थानान्तर्गत आकर दुधई यादव करेगा। इस गुप्त सूचना के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी के क्रम में मुठभेड़ में दुधई यादव को गोली लगी एवं इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई।

इस सफलता से पुलिस का मनोबल बढ़ा तथा अपराधियों के मनोबल को धक्का लगा। अब वर्तमान समय में ऐसा कोई गिरोह सक्रिय नहीं है जिससे व्यवसायी को रंगदारी का डर हो। इस सफलता से जहाँ व्यवसायी को राहत मिली वहीं जनता के जनमानस में पुलिस के प्रति प्रेम बढ़ा।

तीसरी सफलता कुख्यात अपराधकर्मी सुनील माँझी उर्फ सुशील माँझी जिसके विरुद्ध हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सात काण्ड प्रतिवेदित है जो वर्ष 1999 से अपराध से जुड़ा हुआ था। अपना वर्चस्व बढ़ाने हेतु अपनी गतिविधि घाटशिला अनुमण्डल के मुसाबनी, डुमरिया, घाटशिला क्षेत्र में बढ़ाने को प्रयास कर रहा था तथा शहर में भी आकर कभी-कभी काण्ड को अंजाम दे रहा था। चूँकि शहर में कोई गिरोह वर्तमान समय में सक्रिय नहीं था। उसका लाभ उठाने का प्रयास उसके द्वारा शुरू कर दिया गया था। इसी क्रम में उसे पकड़ने की रणनीति बनायी गई थी। दिनांक 04..07.06 को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी हेतु प्रयास के क्रम में जादूगोड़ा थाना अंतर्गत मुठभेड़ में अभियुक्त सुनील माँझी मारा गया।

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर पुलिस अपनी छवि में और निखार लाने के लिए थाने में महिला पुलिस को प्रशिक्षण देकर हेल्प डेस्क लगायी गई जिससे आम जनता से मृदु भाषा का प्रयोग कर उनके समस्याओं को सुनने तथा यथासंभव उसका निदान अविलंब हो सके। आम जनता की परेशानी को देखते हुए यह

प्रथम सार्थक कदम उठाया गया जिसमें छोटी-छोटी समस्याओं का निदान त्वरित गति से हो जाने के कारण आम जनता इस कदम की सराहना की अपितु पुलिस के प्रति आम जनता की नजदीकियाँ बढ़ी हैं।

वर्तमान में घाटशिला अनुमण्डल लगभग पुरी तरह उग्रवाद से प्रभावित है। इस अनुमण्डल में उग्रवादी गतिविधियों की शुरुआत 1994-1995 में हुई है। घाटशिला अनुमण्डल की भौगोलिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि उग्रवादी को छिपने तथा विकास करने में मदद करती है। अधिकांश क्षेत्र जंगल एवं पहाड़ी से घिरा हुआ है। इस अनुमण्डल में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोड़ा जो यूरेनियम उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है तथा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड जो भारत में ताँबा का उत्पादन करता है उसकी सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था समस्याओं का निदान करना भी पुलिस के लिए चुनौति है। वर्तमान समय में उग्रवाद ग्रामीण सुदूर इलाके से अपनी पैठ शहर की ओर करना चाह रही है और इस मंशा को नकाम करना ही पुलिस की सफलता है तथा ग्रामीण सुदूर इलाके से उग्रवाद का सफाया।

उग्रवादी संगठन विगत छः माह में बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने में नकाम रही है तथा पुलिस के द्वारा एस०टी०एफ० बल एवं सी०आर०पी०एफ० की मदद से उग्रवादी के विरुद्ध बराबर छापामारी की जा रही है। छापामारी के क्रम में पुलिस एवं उग्रवादी से मुठभेड़ भी हुई है तथा उग्रवादी को मुँह की खानी पड़ी है। माह जुलाई पुलिस की सफलता की माह रही है। जोनल कमिटी का सदस्य/एरिया कमांडर गुड़ाबन्दा/डुमरिया (उड़ीसा सीमावर्ती का प्रभारी) उग्रवादी श्याम सिंकू उर्फ चमरू पिंगुवा, पिता जय सिंकू की गिरफ्तारी एल०आर०पी के क्रम में दिनांक 27.06.06 को खिजूरदाढ़ी ग्राम से किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में उसके पास से उग्रवादी साहित्य एवं लूटा हुआ मोबाईल बरामद किया गया जो वैष्णवी कंस्ट्रक्शन से लूटा गया था। पुछताछ के क्रम में उसने बताया कि वर्ष 2003 में सुअर लदा हुआ ट्रक को डुमरिया में जलाया था। वर्ष 2004 में गुड़ाबन्दा थाना को उड़ाने में भी शामिल था। वर्ष 2004 में बुलुगोड़ा पुलिस मुठभेड़ में शामिल था तथा कर्लाबेड़ा पहाड़ में दिनांक 29.03.06 को पुलिस मुठभेड़ में शामिल था। इसके सूचना के आधार पर 315 दो रेगुलर रायफल कर्लाबेड़ा पहाड़ गुड़ाबन्दा से 4 केन बम बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त डुमरिया थाना अंतर्गत एक रायफल डुमरिया मारंगडांगा जंगल से 90 गोली बरामद किया गया।

हमें उग्रवाद को समाप्त करने के लिए गहन मंथन एवं कार्य पद्धति में बदलाव लाना होगा। उग्रवाद की समाप्ति के लिए अतिआवश्यक है कि उसकी उत्पत्ति के कारणों का पता लगाकर शमूल नाश करना है तथा उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। आज वर्तमान परिवेश में जहाँ उग्रवाद पनप रहा है तथा उग्रवादी अपने कार्यकलाप से आम जनता को अपने लुभावने वायदों एवं पुलिस के प्रति आक्रोशित करने का कार्य कर रहे हैं। उस परिस्थिति में पुलिस को अपनी पुरानी कार्य शैली बदलकर अपनी नयी छवि बनानी होगी। पुलिसकर्मी आम जनता से न केवल कानूनी रिश्ता रखे अपितु मानवीय मूल्यों को देखते हुए अपने परिवार की तरह रिश्ता बनाये तथा आम जनता से नजदीकियाँ बनाये तथा उनके सहयोग एवं प्रेम से काम लें। आज पूर्वी सिंहभूम पुलिस इस समस्याओं के निदान हेतु कारगर कदम उठा रही है तथा प्रयासरत है कि इसमें सफलता मिले।

(क) नागरिक सुरक्षा समिति को सहयोग देना : वर्ष 2003 में नागरिक सुरक्षा समिति उग्रवादी संगठन से तंग आकर गठित किया था जिसके साथ पुलिस को पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है तथा यथासंभव उनसे सामाजिक सुरक्षा रखकर आम जनता को उग्रवादियों से दूर रहने तथा पुलिस को सहयोग करने हेतु अनुरोध किया जाता है। विगत माह प्रोजेक्टर के द्वारा सुदूर इलाके में रह रहे नागरिकों को कैसेट दिखाकर उग्रवादियों के कुकृत्य को दिखाया जा रहा है कि अन्तोगत्वा वे केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं तथा इससे आम जनता की कोई भलाई नहीं होने वाली है।

(ख) पटमदा थाना में नवयुवकों को बुनियादी प्रशिक्षण देना जिससे ग्रामीण युवकों को पुलिस/सेना/सीआरपीएफ आदि में नौकरी मिल सके : पटमदा थाना जो पूर्वी सिंहभूम के देहाती इलाके में आता है उनके सुदूर इलाके के नवयुवक जो पुलिसकर्मी के रूप में बहाल हो सकते हैं, उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा सुबह चना एवं गुड़ दिया जा रहा है। यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि विज्ञापन नियुक्ति हेतु निकले तो उन्हें फार्म उपलब्ध कराकर भराया जाए तथा उन युवकों की नियुक्ति कराया जाय। इस प्रयास से पुलिस की नजदीकियाँ भी बढ़ती हैं तथा उग्रवादी के संबंध में सूचनाएँ भी प्राप्त होने की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

(ग) पटमदा थाना क्षेत्र में नवयुवकों को ड्राईवरी लाइसेंस बनाकर रोजगार उपलब्ध कराना तथा यथासंभव पुलिस ड्राईवर के पद पर बहाल करना : पटमदा थाना के सुदूर क्षेत्र के 25 नवयुवकों को ड्राईविंग का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जिससे ड्राईविंग लाइसेंस प्राप्त कर रोजगार एवं नौकरी प्राप्त हो सके।

(घ) फुटबॉल मैच का आयोजन : उग्रवाद प्रभावित थाना क्षेत्र में फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। टुर्नामेंट कराकर जीते हुए टीम को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे पुलिस ज्यादा सुदूर ग्रामीण नवयुवक के संपर्क में आये तथा संभव हो तो उग्रवाद के संबंध में सूचना भी दे। इस प्रकार का आयोजन पटमदा थाना से 25 कि॰मी॰ आगे ससांगाडीह गाँव में माह अप्रैल में किया गया तथा जीते हुए टीम को जर्सी/बुट एवं सील्ड दिया गया जिसमें गंगा ग्राम का टीम विजय हुआ था। घाटशिला थाना अंतर्गत दीघा गाँव में आयोजन किया गया। ग्रामीणों के बीच धोती, साड़ी का वितरण उग्रवाद प्रभावित थानों में सुदूर ग्राम में हेल्थ सेंटर लगाया जा रहा है उसी क्रम में गरीब ग्रामीणों के बीच धोती, साड़ी का वितरण किया गया। साड़ी धोती का वितरण चाकुलिया / पटमदा / घाटशिला / गुड़ाबन्दा एवं डुमरिया थाना से कराया गया है।

(ङ) ग्रामीण को लाल कार्ड एवं इन्दिरा आवास उपलब्ध कराना : वर्तमान में उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि यथासंभव गरीब ग्रामीणों को सी॰ओ॰ एवं बी॰डी॰ओ॰ के सहयोग से सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी दें तथा उसे उपलब्ध कराने का प्रयास करें जिससे ग्रामीणों का सहयोग पुलिस को मिल सके।

(च) ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियों का नामांकन स्कूल में कराना : ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लड़कियों को स्कूल में दाखिला कराने का कार्य भी जिला पुलिस के द्वारा किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।